

### असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

| सं. 1944] | नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2014/आश्विन 1, 1936    |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| No. 1944] | NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2014/ASHVINA 1, 1936 |

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2014

**का.आ. 2466 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग

घोषित करती है ।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथानिर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

| क्र. सं. | नई राष्ट्रीय राजमार्ग | राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण                                                      |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          | संख्या                |                                                                                    |
| (1)      | (2)                   | (3)                                                                                |
| 304      | 333बी                 | बिहार राज्य में रारा-33 के साथ मुंगेर पर अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और रारा-31 के |
|          |                       | साथ अपने जंक्शन पर खगड़िया पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।                          |
| 305      | 133बी                 | झारखंड राज्य में रारा-33 के साथ साहिबगंज पर अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और बिहार   |
|          |                       | राज्य में रारा-131ए के साथ अपने जंक्शन पर मनिहारी पर समाप्त होने वाला राजमार्ग 🖂   |

[फा. सं. एनएच-14012/13/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

3816 GI/2014

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1522(अ), तारीख 13 जून, 2014 द्वारा किया गया था

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

### New Delhi, the 8th September, 2014

**S.O. 2466(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

| Serial No. | New                   | Description of National Highways                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | National Highways No. |                                                                                                                                                                              |
| (1)        | (2)                   | (3)                                                                                                                                                                          |
| 304        | 333B                  | The highway starting from its junction with NH-33 at Munger and terminating at its junction with NH No. 31 at Khagaria in the State of Bihar.                                |
| 305        | 133B                  | The highway starting from its junction with NH-33 at Sahibganj in the State of Jharkhand and terminating at its junction with NH No. 131A at Manihari in the State of Bihar. |

### TABLE

[F. No. NH-14012/13/2014-P&M] MAYA PRAKASH, Director (P&B)

**Foot Note :** The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 1522(E), dated 13th June, 2014.